

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

आपन सुरेन्द्रपाल बनाम कमल सिंह आदि
 पत्र संख्या 006 / 2022 अन्तर्गत धारा 251(क) RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

29/01/24

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची व अप्राची संख्या 6 के द्वारा प्राचीना पत्र पेश कर विवेकन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में पंचायती मौजिज व्यक्तियों द्वारा अन्य काश्तकार से खुलवा करवाकर प्राची की कृषि भूमि में आने-जाने हेतु मार्ग उपलब्ध करवा दिया गया है। इस कारण प्राची उक्त अनवान प्रकरण में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।
 अधिवक्तागण व प्राची को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची द्वारा प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) RTA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीति होकर नम्बर से कम होकर वाखिल दफतर हो।

सुरेन्द्रपाल
 Kernel Dweep
 पंचायत
 29/1/24
 (INDRA)
 SHV



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर